न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 2019/00017
04/2019

वादी	**प्रतिवादीगण**
1. कविता पत्नि मफाराम जाति माली निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा	1. श्रीमान उपपंजीयक महोदय 2. श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग
2. प्रतिवादी राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा

निर्णय

दिनांक – 11.12.2019

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 210 रकबा 1.94 बारानी प्रथम में पिछले 30 वर्ष के कब्जा काश्त के आधार पर तथा वादिया को भूमिहीन एंव गरीब समझते हुए खातेदारी हक की घोषणा की जावे तथा उक्त आराजी को राजस्व रेकर्ड में वादीया के नाम अमलदरामद तथा चालु नक्शा ट्रेस में अलग से खातेदारी दर्शायी जावे।

प्रतिवादी राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने जबाव में बताया गया कि मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 210 रकबा 1.94 हैक्टेयर भूमि बारानी प्रथम राजस्थान सरकार की राजकीय बिलानाम सिवाचक्र खाता संख्या 1 की भूमि है। उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के नियमानुसार राजस्थान भू–राजस्व (अतिचारियो की बेदखल) नियम 1975 के नियम 3 के तहत प्रारूप 'क' का नोटिस जारी कर बेदखली एंव जुर्माना आरोपित किया गया है। दिनांक 23.09.2005 एवं 27.10.2009 दो नोटिस प्रार्थीया के पति मफाराम के नाम से जारी हुआ है। लगातार तीस वर्षो का कब्जा काश्त अस्वीकार है। खातेदारी घोषणा देने योग्य दावा नहीं है। खारीज योग्य है । स्थाई निषेधाज्ञा वादीया ने चाही है। जो कि आर आर टी (2) 1327 व 1392 वर्ष 2010(1) 588 अनुसार सरकारी बिलानाम भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा नही मिलेगा। अन्य अनुतोष वाद अन्तर्गत धारा 53 ,88, 188 आर टी एक्ट 1955 में चलने योग्य नही है। दावा खारीज फरमावें।

हमने वादीया के वाद व संलग्न दस्तावेजो व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। बहस के कथनो पर मनन किया गया। वादीया ने बहस में वाद के कथनों का दोहराया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में न्यायालय नायब तहसीलदार कोर्ट रानीवाडा द्वारा जारी नोटिस दिनांक 23.09.2005 व 27.10.2009 की छाया प्रति पेश कि जो वादीया के पति मफाराम के नाम से जारी है। वादीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जो उसके बिलानाम भूमि पर 30 वर्षो के निरन्तर कब्जे को साबित कर सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद खारीज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे। उक्त आशय की डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानसिंह राठौड आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कविता पत्नि मफाराम जाति माली निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा	**बनाम**	1. श्रीमान उपपंजीयक महोदय 2. श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 04/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री रमेश कुमार गर्ग उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 210 रकबा 1.94 हैक्टेयर भूमि बारानी प्रथम राजस्थान सरकार की राजकीय बिलानाम सिवाचक्र खाता संख्या 1 की भूमि है। वादीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जो उसके बिलानाम भूमि पर 30 वर्षो के निरन्तर कब्जे को साबित कर सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद खारीज किया जाता है।

पक्षकारन अपना अपना खर्चा वहन करें।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11.12.2019 को जारी की गई।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.24 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: